निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

स0स0–11 / टी0बी0(कोर्ट)–27 / 2024– 189 (11) / पटना, दिनाक– 11 /03/ 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के विज्ञापन सख्या–01 / 1997 के माध्यम से बी०सी०जी० प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2 उक्त के आलोक मे निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के आदेश ज्ञापाक–936(11), दिनाक–15.09 2018 के द्वारा निम्न कर्मियो को नियुक्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापाक–981(11), दिनाक–28 09 2018 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयो मे पदस्थापित किया गया।

क्र० सं०	नाम / पदनाम	पदस्थापन स्थान	अवमाननावाद संख्या–1711 / 2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में वास्तविक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1	**श्री रविन्द्र कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, बिहारशरीफ, नालदा	03 10 2018
2	**श्री अरविन्द कुमार पूर्वे,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, बक्सर	03.10 2018
3	**श्री ताराकांत चौधरी,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर	30 11.2018
4	**श्री हलधर प्रसाद सिंह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, बाढ, पटना	04 10 2018
5	**श्री बाँके बिहारी सिंह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, कैमूर	03.10 2018
6.	**श्री पंकज कुमार सिंह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, कैमूर	04 10.2018
7	**श्री अरूण कुमार झा,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, अररिया	01 10.2018
8	**श्री श्याम देव मंडल,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, गया	04 10 2018
9	**श्री ओम प्रकाश पोद्दार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, रोसरा, समस्तीपुर	01 10 2018

3 उपरोक्त कर्मियो की नियुक्ति दिनाक–31 08.2005 के उपरात होने के कारण इन्हे पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त नही हो सका है, जिसके कारण उपरोक्त कर्मियो के द्वारा पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर CWJC NO.10403/2019, रामबली सिह एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य मे दिनाक–12 10 2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अश निम्नवत है–

"6. In this circumstances, this Court decides this case into two category, for first category the petitioners whose rights are disturbed by Memo No.292 (11) dated 25.03.2019, they shall be at liberty to challenge the said order in accordance with law, whereas those petitioners whose name is not given in the said Memo No.292(11) dated 25.03.2019, liberty has been granted to them to pursue by way of filing representation before the authority who shall pass speaking order within a period of four months from the date of receipt of a copy of this order.

7 It is made clear that Government of Bihar, General Administration Department, vide notification 18/PR SU MI -04-03/2008 SA PR 7528 dated 3 6.2019, has framed a rule, namely, Bihar Government Servant Grievances Redressal Rule, 2019, according to which liberty has been granted to raise their grievances before Service Grievance Redressal Officer".

के आलोक मे याचिकाकर्ताओ की नियुक्ति वर्ष 2018 मे नयी पेशन योजना के तहत की गई है। यह सकल्प की कडिका–4(ii) की शर्त्त के अनुरूप है।

(ग) प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भिक स्तर से ही न्यायिक वादो से अच्छादित रही है, जो सकल्प की कडिका–4 (iii) की शर्त्त के अनुरूप है।

5 उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति एव CWJC NO.3114/2019 अरविन्द प्रसाद एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य के अनुपालन मे क्रमाक–01 से 05 तक के बी0सी0जी0 प्रावैधिक को पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने एव विज्ञापन सख्या–01 / 97 मे बी०सी०जी० प्रावैधिक के प्रथम नियुक्ति की तिथि 16.03.2000 से वैचारिक लाभ एव वास्तविक योगदान की तिथि (कडिका–2 के अकित कर्मियो से सबंधित विवरणी के कॉलम–4 में अंकित) से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6 उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

10/3/26
(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11 / टी0बी0(कोर्ट)–23 / 2024–189. (11) / **पटना, दिनांक–** 11 / 03 / 2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), बिहार, अगमकुऑ, पटना / अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुऑ, पटना–7 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सचारी रोग, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालदा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), एव पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला भविष्य निधि पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालदा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), एव पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सबधित बी0सी0जी0 प्रावैधिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/26
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना